

राजस्थान उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला-पाली(राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्णोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2026/40

दायरा तिथि : 09.01.2026

आदेश तिथि : 25-02-26

प्रार्थी :-

सुरेश कुमार मीणा पुत्र मगाराम मीणा

जाति मीणा निवासी खिंदावा तहसील बाली

ब न म

अप्रार्थी :-

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2026/692

दायरा तिथि : 11.11.2025

आदेश तिथि : 25-02-26

प्रार्थी :-

शंकरलाल पुत्र चमनाराम जाति मीणा निवासी रघुनाथपुरा तहसील बाली

प्रतिस्थापित

सुरेश कुमार मीणा पुत्र मगाराम मीणा

जाति मीणा निवासी खिंदावा तहसील बाली

ब न म

अप्रार्थीगण :-

1. ऐजी पुत्री रूपीराम रेबारी
2. ओबाराम पुत्र मोटाराम रेबारी
3. ओबाराम पुत्र मोटा रेबारी
4. केसाराम पुत्र रूपीराम रेबारी
5. जतनू पुत्री मोटाराम रेबारी
6. देवी पुत्री रूपीराम रेबारी
7. पीराराम पुत्र रूपीराम रेबारी
8. मीरा बाई पत्नी रूपीराम रेबारी
9. वागाराम पुत्र रूपीराम रेबारी
10. सवाराम पुत्र मोटाराम रेबारी
11. सविया पुत्र मोटा रेबारी
12. गमनाराम पुत्र चैनाराम मेगवंशी (फौत)
अ. लक्ष्मण पुत्र स्व. गमनाराम
ब सीता पुत्री स्व. गमनाराम
स. मथरा देवी पत्नी स्व. गमनाराम
13. पुष्प कंवर पत्नी बहादुरसिंह जाति राजपूत
14. भेरूसिंह पुत्र बहादुरसिंह जाति राजपूत निवासीगण रघुनाथपुरा तहसील बाली



3
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपटित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकॉर्ड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश

दिनांक: 25-02-26

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है:-प्रार्थी शंकरलाल पुत्र चमना राम जाति मीणा निवासी रघुनाथपुरा तहसील बाली द्वारा अपनी धारित खातेदारी भूमि ग्राम रघुनाथपुरा पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 856 रकबा 0.38 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिये कोई रास्ता उपलब्ध नहीं होने से आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपटित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपटित नियम-68 प्रस्तुत कर ग्राम पेज लगातार.....02

सहायक
उपख
स

रघुनाथपुरा स्थित भूमि खसरा नंबर 861 रकबा 0.31 हैक्टर के खातेदार अप्राथी संख्या 01 से 11 की खातेदारी से होते हुये खसरा नंबर 860/1 रकबा 0.29 हैक्टर जिसके खातेदार अप्राथी संख्या 12 में से एवं खसरा नंबर 857 रकबा 0.42 हैक्टर के खातेदार अप्राथी संख्या 13 व 14 है, में से रास्ता उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया। जिस संबंध में प्रकरण दर्ज कर हितबद्ध पक्ष को नोटिस जारी करते हुये निरीक्षक भू-अभिलेख बेडा से मौका जांच रिपोर्ट तलब की गई। प्रकरण में अप्राथी संख्या-12 को जारी नोटिस फौत होने की रिपोर्ट के साथ प्राप्त होने से अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा कायम मुकाम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से अप्राथी संख्या 12 के कायम मुकाम को नियमानुसार रिकॉर्ड पर लिया जाकर तलबी पूर्ण की गई। अप्राथीगण बावजूद नोटिस तामील के न्यायालय में वकालतन/असालतन अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। इसी प्रकार प्रार्थी सुरेश कुमार मीणा पुत्र मगराम जाति मीणा निवासी खिंदावा तहसील बाली ने भी अपनी धारित खातेदारी भूमि ग्राम रघुनाथपुरा के खसरा नंबर 854 में आवागमन के लिये रास्ता उपलब्ध नहीं होने से खसरा नंबर 855 रकबा 0.48 हैक्टर राजकीय सिवायचक भूमि में से नया मार्ग उपलब्ध कराने के लिये प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम-68 दिनांक 29.01.2026 को प्रस्तुत किया। जिस संबंध में भी निरीक्षक भू-अभिलेख बेडा से रिपोर्ट तलब की गई। निरीक्षक भू-अभिलेख बेडा ने रिकॉर्ड व मौका स्थिति की जांच कर निम्नासुर जांच रिपोर्ट पेश की। जांच रिपोर्ट के अनुसार खसरा नंबर 856 के खातेदार शंकरलाल द्वारा भूमि प्रार्थी सुरेश कुमार को बेचान कर देने से अब दोनों प्रकरणों में आवेदनकर्ता सुरेश कुमार ही रहा है। जिससे आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के प्रावधानों अनुसार प्रकरण संख्या 2025/692 में भी बतौर प्रार्थी सुरेश कुमार प्रतिस्थापित किया जाता है। इसके साथ ही प्रस्तुत रिपोर्ट के अवलोकन से यह ज्ञात है कि दोनों प्रकरणों में उपलब्ध कराये जाने वाले नये मार्ग का रूट एक ही है। जिससे सीपीसी की धारा 10 के प्रावधानों अनुसार दोनों प्रार्थना पत्रों अर्थात् प्रकरण संख्या 2025/692 एवं प्रकरण संख्या 2026/40 बअनवान सुरेश कुमार बनाम राज्य सरकार वगैरा को कंसोलिडेट करते हुये एक साथ निर्णय पारित किये जाने का निर्णय लिया जाता है। चूंकि प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार :-

1. आवेदक(खातेदार) की धारित भूमि में आवागमन के लिए राजस्व रिकार्ड में कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है, लेकिन पास ही स्थित खसरा नम्बरान मे से आना जाना करता है।
2. आवेदक द्वारा प्रस्तावित रास्ता किसी सडक अथवा किसी कटान मार्ग से न्यूनतम दूरी का है। इससे कम दूरी का रास्ता मौके पर उपलब्ध नहीं है।
3. यह है कि प्रार्थी की खातेदारी की धारित भूमि में आवागमन के लिए राजस्व रिकार्ड में कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। आवेदित रास्ता ही आवागमन का इकलौता स्रोत है।
4. यह है कि आवेदक द्वारा प्रस्तावित रास्ता किसी सडक अथवा किसी कटान मार्ग से न्यूनतम दूरी का है। इससे कम दूरी का रास्ता मौके पर उपलब्ध नहीं है।

यह है कि रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. स.	ग्राम	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नाम खातेदार
1	रुघनाथपुरा	861	0.31 हैक्टर	नहरी अव्वल	48*09=432 वर्गमीटर	ऐजी पुत्री रूपीराम हिस्सा-5/96 जाति रेबारी सा. देह वर्ग, खातेदार
2	रुघनाथपुरा	860/1	0.29 हैक्टर	नहरी अव्वल	56*09=504 वर्गमीटर	गमना पुत्र चेना हिस्सा-पूर्ण जाति मेगवंशी सा0 देह खातेदार
3	रुघनाथपुरा	857	0.42 हैक्टर	नहरी अव्वल	88*09=792 वर्गमीटर	पुष्प कंवर पत्नी बहादुरसिंह हिस्सा 1/2 जाति राजपूत सा0 देह खातेदार भैरू सिंह पुत्र बहादुर सिंह हिस्सा- 1/2 जाति राजपुत सा0 देह खातेदार
	रुघनाथपुरा	855	0.48 हैक्टर	नहरी अव्वल	80*09=720 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक भूमि

6. यह कि प्रस्तावित भूमि की डी.एल.सी. दर 160000/- रुपये प्रति हैक्टर है।

7. यह है कि प्रस्तावित रास्ते हेतु उपयोग में आने वाले भू-भाग पर निर्माण कार्य, वृक्ष नहीं है एवं न ही वृक्ष इत्यादि की क्षति है।



सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

प्रकरण मे निरीक्षक भू-अभिलेख बेडा द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थी की मांग अनुसार रास्ता दिये जाने बाबत अनुशंषा की गई। निरीक्षक भू-अभिलेख बेडा से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण में वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकलाय की बहस पर मनन के पश्चात् यह जाहिर है कि ग्राम रघुनाथपुरा पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 856 रकबा 0.38 हैक्टर एवं खसरा नंबर 854 रकबा 0.43 हैक्टर की भूमि आवेदक की खातेदारी भूमियां है, जिसमें आवागमन के लिए कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। तथा निरीक्षक भू-अभिलेख बेडा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार नये मार्ग का रूट खसरा नंबर 861, 860/1, 857 से होते हुये खसरा नंबर 856 प्रार्थी की खातेदारी भूमि से होकर खसरा नंबर 855 से खसरा नंबर 854 तक पहुंचने का मार्ग है। इस प्रकार मार्ग में पडने वाले खसरा नंबर 856 की खातेदारी प्रार्थी स्वयं की होने से उक्त खसरे से नया मार्ग उपलब्ध कराने की आवश्यकता नहीं रहती है। तथा निरीक्षक भू-अभिलेख बेडा की रिपोर्ट में वर्णित रूट से खसरा नंबर 861, 860/1, 857, 855 में से नया रेकर्ड रास्ता उपलब्ध कराया जाना न्यायसंगत है। प्रस्तावित किया गया है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध में राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप-6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप-6) के परिपत्र क्रमांक:प.3(52) राज-6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियों के अनुसरण में प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम रूगनाथपुरा पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 854 रकबा 0.4300 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थीगण की भूमि ग्राम रूगनाथपुरा पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 861 रकबा 0.31 हैक्टर, खसरा नंबर 860/1 रकबा 0.29 हैक्टर, खसरा नंबर 857 रकबा 0.42 हैक्टर एवं खसरा नंबर 855 रकबा 0.48 हैक्टर में से **432+504+792+720=2448 वर्गमीटर** रास्ता हेतु नियमों के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए निरीक्षक भू-अभिलेख बेडा द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश दिये जाते है।

राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :-

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रमावित क्षेत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व.मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि की डी.एल.सी. दर 160000/-रूपये प्रति हैक्टयर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
861	0.31 हैक्टर	48*09=432 वर्गमीटर	16	6912X2=13824	ऐजी पुत्री रूपीराम हिस्सा- 5/96 जाति रेबारी सा. देह वर्ग, खातेदार वगैरा
860/1	0.29 हैक्टर	56*09=504 वर्गमीटर	16	8064X2=16128	गमना पुत्र चेना हिस्सा- पूर्ण जाति मेगवंशी सा0 देह खातेदार
857	0.42 हैक्टर	88*09=792 वर्गमीटर	16	12672X2=25344	पुष्प कंवर पत्नी बहादुरसिंह हिस्सा 1/2 जाति राजपूत सा0 देह खातेदार भैरू सिंह पुत्र बहादुर सिंह हिस्सा- 1/2 जाति राजपुत सा0 देह खातेदार
855	0.48 हैक्टर	80*09=720 वर्गमीटर	16	11520X2=23040	राजकीय सिवायचक भूमि

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से सुक्तानुसार राशि 78336/- (अक्षरे अठहत्तर हजार तीन सौ छत्तीस रूपये मात्र) रूपये सहायक कलक्टर एवं पटवार द्वारा बतौर प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। निरीक्षक भू-अभिलेख बेडा द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

उपखण्ड अधिकारी, बाली

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकर्ड में बतौर राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता दर्ज करेंगे।

//04//

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : GCMS NO 2026/40 एवं प्रकरण GCMS NO 2025/692

अनवान सुरेश कुमार बनाम ऐजी वगैरा

अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड में मिल दरामद के साथ नक्शा में तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।



कमरेक / कोर्ट / 2026 / 298-302

प्रतिनिधि निम्नांकित को पालनार्थ:-

1. तहसीलदार, बाली निजी खातेदार को देय प्रतिकर राशि अमानत मद तथा राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि संबंधित मद में जमा की सुनिश्चितता करें।
2. निरीक्षक भू0अ0 बेडा
3. पटवारी हल्का, दूदनी
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक सुरेश कुमार मीणा पुत्र मगाराम मीणा जाति मीणा निवासी खिंदावा तहसील बाली को सूचनार्थ।


(दिनेश मिश्रनोई)

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

दिनांक : 25-2-2026

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली





खसरा संख्या : 857 क्षेत्रफल : 0.4200 Hectare खाल संख्या : 10/पुणे खाल संख्या : 110

ग्राम विभाग क्षेत्रफल समान : नदरी जंक्शन [0.4200, 8.82]

- 1.) पुण्य केवल पत्ति बहादुरशेर हिस्सा- 1/2 जमिनी- राजपुत्र सा. देह खालेदार
- 2.) शेर सिंह पुत्र बहादुरशेर हिस्सा- 1/2 जमिनी- राजपुत्र सा. देह खालेदार

Handwritten signature

Handwritten signature
सुभाषचंद्र बोस

- नोट :-
1. यह प्रपत्र केवल पत्ति की जानकारी के लिए है।
 2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
 3. प्रतिलिपि में संशोधन/संशोधित प्रतिलिपि हेतु सांख्यिकी जिला/दक्षिण कार्यालय में संदर्भ करें। ULPIN no : null